	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 15, मंगलवार, *शाके* 1948- मई 05, 2026 Vaisakha 15, Tuesday, Saka 1948- May 05, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 05, 2026

जी.एस.आर.12 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम,1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4-क की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुंब पेंशनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुंब पेंशनर (चिकित्सा सुविधाएं) (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुंब पेंशनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 3 के विद्यमानखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) 50,000/- रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम खर्च सीमा तक, जिसमें 5,000/- रु. प्रतिवर्ष तक आरजीएचएस के अधीन सूचीबद्ध जांचें (पैथोलोजिकल, बैक्टैरियोलोजिकल, रेडियोलोजिकल और अन्य) सम्मिलित हैं, बाह्य उपचार के मामले में एलोपैथिक ओषधियां, औषध, वेक्सीन, सीरा, अन्य चिकित्सा पदार्थ आरजीएचएस के अधीन मान्यता प्राप्त फार्मा स्टोर/ई-फार्मा स्टोर से लिये जा सकेंगे। यदि सरकारी अस्पताल में जांच उपलब्ध नहीं है तो सरकारी अस्पताल से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र अपेक्षित है:

परंतु अंतरंग रोगी को औषध, खर्च सीमा का विचार किये बिना उपलब्ध करवायी जायेंगी।

परंतु यह और कि पेंशनर, जिन्होंने 75 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, को 3,000/- रु. प्रतिवर्ष की सीमा तक निम्नलिखित उपचार/रोगों के मामले में, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटी-ऑक्सीडेंट उपलब्ध करवाये जायेंगे:-

(i) कैंसर, (ii) स्थायी यकृत रोग, (iii) किडनी फेल, (iv) मुख्य अंग प्रत्यारोपण (जैसे किडनी, फेफड़े, यकृत और अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण) और (v) स्ट्रोकों के परिणामस्वरूप पार्किंसन रोग के स्थायी लक्षण।

प्राधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा लिखे गये विटामिन्स, मिनरल्स, एंटी-ऑक्सीडेंट का संदाय आरजीएचएस दरों पर फार्मा स्टोर/ई-फार्मा स्टोर को किया जायेगा।"

3. नियम 4 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4. नियम 3 के अधीन खर्च सीमा में शिथिलीकरण.- (1) प्रमुख सचिव, नियम 3 में विनिर्दिष्ट औषधों के खर्च की सीमा समस्त पात्र मामलों में प्रतिवर्ष 1,00,000/- रुपये तक और कैंसर, किडनी फेल और गुर्दा (रेनल) रोग के उपचार के संबंध में प्रतिवर्ष 2,00,000/- रुपये की सीमा तक, निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर और जहां आवश्यक समझी जाये, दूसरी चिकित्सीय राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से बढ़ा सकेगा, अर्थात्:-

1. प्रमुख सचिव - अध्यक्ष
2. राजस्थान विधान सभा के सरकारी अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी - सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी - सदस्य-सचिव।

टिप्पण: आरजीएचएस के अधीन सूचीबद्ध जांचों (पैथोलोजिकल, बैक्टैरियोलोजिकल, रेडियोलोजिकल और अन्य) के लिए, प्रतिवर्ष 5,000/- रु. की खर्च सीमा है। सूचीबद्ध जांचों की खर्च सीमा में वृद्धि, उप-नियम (1) के अधीन खर्च सीमा के भीतर प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

(2) समस्त पात्र मामलों में प्रतिवर्ष 1,00,000/- रुपये से अधिक बाह्य उपचार के मामले में औषधों और ओषधियों की खर्च सीमा और प्रतिवर्ष 2,00,000/- रुपये की सीमा से अधिक कैंसर, किडनी फेल और गुर्दा (रेनल) रोग के संबंधित उपचार के संबंध में निम्नलिखित सक्षम स्तर द्वारा विनिश्चय किया जायेगा:-

1. चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा यथा प्राधिकृत अतिरिक्त सीईओ/संयुक्त सीईओ, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी (समस्त पात्र मामलों में 1,00,000/- रुपये से अधिक)
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी (2,00,000/- रुपये से अधिक और 7,00,000/- रुपये तक)
3. प्रशासनिक विभाग-चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग (7,00,000/- रुपये से अधिक)

टिप्पण: आरजीएचएस के अधीन सूचीबद्ध जांचों (पैथोलोजिकल, बैक्टैरियोलोजिकल, रेडियोलोजिकल और अन्य) के लिए खर्च सीमा 5,000/- रु. प्रतिवर्ष है। उप-नियम (2) के अधीन विस्तारित

खर्च सीमा के मामले में सूचीबद्ध जांच की खर्च सीमा में विस्तार को उप-नियम (2) के अधीन खर्च सीमा में विस्तार के भीतर सीईओ, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

[सं. 7(1)संसद/2021]
राज्यपाल के आदेश से,
राघवेन्द्र काछवाल,
प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department

Notification
Jaipur, May 05, 2026

G.S.R.12 .-In exercise of the powers conferred by section 11 read with sub-section (2) of section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.- (1)These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 3.- The existing clause (a) of rule 3 of the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(a) Allopathic drugs, medicines, vaccines, sera, other therapeutic substances can be taken from pharma store/ e-pharma store recognized under the RGHS in case of outdoor treatment upto the cost ceiling of Rs. 50,000/- per annum, which includes the listed tests (pathological, bacteriological, radiological and other) under RGHS upto Rs 5000/- per annum. NAC is required from Government hospitals in case the test is not available in the Government hospitals:

Provided that medicines to the indoor patients shall be made available irrespective of the cost ceiling.

Provided further that vitamins, minerals and anti-oxidant shall be made available upto the limit of Rs 3000/- per annum for the pensioners who have attained the age of 75 years or above in the case of following treatment/ diseases:-

(i) Cancer, (ii) Chronic Liver Disease, (iii) Kidney Failure, (iv) Major Organ Transplant (i.e. Kidney, Lungs, Liver and Bone Marrow Transplant) and (v) Strokes resulting in permanents symptom/ Parkinsons disease.

The payment of Vitamins, Minerals and Anti-oxidant prescribed by authorized medical attendant shall be made to Pharma stores/e-pharma stores on RGHS rates."

3. Substitution of rule 4.-The existing rule 4 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"4. **Relaxation in cost ceiling under rule 3.-**(1) The Principal Secretary may extend the cost ceiling for medicines specified in rule 3 upto Rs. 1,00,000/- per annum in all deserving cases and in respect of treatment of cancer, kidney failure and renal disease upto limit of Rs. 2,00,000/- per annum through RGHS portal on the recommendation of the committee consisting of the following and after obtaining second medical opinion where it is felt necessary, namely:-

1. Principal Secretary	-	President
2.Medical Officer of the Government Hospital of the Rajasthan Vidhan Sabha	-	Member
3.Financial Adviser/Chief Accounts officer/ Senior Accounts officer	-	Member Secretary

Note: For the listed tests (pathological, bacteriological, radiological and other) under RGHS, there is ceiling of Rs 5000/- per annum. The extension in cost ceiling of the listed tests shall be approved by the Principal Secretary within cost ceiling extended under sub-rule (1).

(2) The extension of cost ceiling of drugs and medicines in case of outdoor treatment above Rs. 1,00,000/- per annum in all deserving cases and in respect of treatment of cancer, kidney failure and renal diseases above the limit of Rs. 2,00,000/- per annum shall be decided by the following competent level:-

1. Additional CEO/Joint CEO, Rajasthan State Health Assurance Agency as authorized by medical and health department (above Rs. 1,00,000/- in all deserving cases)
2. Chief Executive Officer, Rajasthan State Health Assurance Agency (above Rs. 2,00,000/- and upto Rs. 7,00,000/-)
3. Administrative Department- Medical and Health Department (above Rs. 7,00,000/-)

Note: For the listed tests (pathological, bacteriological, radiological and other) under RGHS, there is ceiling of Rs 5000/- per annum. In case of cost ceiling extended under sub-rule (2), the extension in the cost ceiling of the listed tests shall also be approved by the CEO, Rajasthan State Health Assurance Agency within cost ceiling extended under sub-rule (2)."

[**No. 7(1)Sansad/2021]**
By order of the Governor,
Raghavendra Kachawal,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.